राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–67 / 2023

लक्ष्मी नारायण (कर्मचारी आईडी.–आरजेजेपी199118015397)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–। सामान्य के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राउप्रासंवि नंगला बल्लूवाल, नदबई, भरतपुर से राप्रवेसंवि छणोद सुमेरपुर पाली में किया गया है। उनका यह तर्क है कि आदेश दिनांक 18.04.2013 के द्वारा कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र नदबई भरतपुर द्वारा अपीलार्थी को बीएलओ नियुक्त किया था। वर्तमान में निवार्चन विभाग ने स्थानांतरण पर दिनांक 09.11.2022 से 05.01.2023 तक प्रतिबंध लगाया है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किये गए है। अतः उक्त आधारों पर अपील

स्वीकार की जाने व आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. हमनें विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. निवार्चन विभाग का जो आदेश दिनांक 14.09.2022 का संदर्भ अपीलार्थी ने दिया है, उसमें मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दिनांक 01.11.2022 से 05.01.2023 तक रोक लगाया है। उक्त अवधि वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में रोक प्रभावी नहीं है। अतः इस कारण से अपीलार्थी अपना स्थानांतरण आदेश निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है।

5. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्वयं का इलाज संतोकबा अस्पताल जयपुर में चल रहा है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

6. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने स्वयं के इलाज के जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, वे 1 वर्ष से अधिक पुराने है। यह प्रकट नहीं होता है कि वर्तमान में भी अपीलार्थी का इलाज चल रहा हो। हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा उठाई गई इस आपत्ति के आधार पर अपीलार्थी अपना स्थानांतरण निरस्त कराने का अधिकारी नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)